अपील सूचना अधिकार संख्या 87/2019 (RCMS 2019/00235) जय प्रकाश हरवानी निवासी क.न. जे–157, पार्श्वनाथ सिटी, संगरिया पाल बाई पास रोड, जोधपुर पिन–3420213 <u>बनाम</u> उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर

<u>10.02.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जयप्रकाश हरवानी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवालोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर से सूचनाएं समय सीमा में दिलवाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी ने अपने दिनांक 28.11.2019 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर समस्त सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी जय प्रकाश हरवानी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान सरकार, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी प्रति अपीलार्थी ने अपने अपील के साथ संलग्न नहीं की गई है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (पुर्नवास) पदाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 4755 दिनांक 28.12.2019 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी श्री जयप्रकाश हरवानी, जे–157 पार्श्वनाथ सिटी, सांगरिया पाल बाईपास रोड, जोधपुर द्वारा लोक सूचना अधिकारी महोदय (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि उनके कार्यालय में 16.09.2019 को प्राप्त हुआ। लोक सूचना अधिकारी महोदय

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र का संबंध इस कार्यालय से होने के कारण उनके द्वारा पत्र क्रमांक 807 दिनांक 16.09.2019 के द्वारा इस कार्यालय को हस्तान्तरित किया गया जो कि इस कार्यालय में दिनांक 20.09.2019 को प्राप्त होकर दर्ज रजिस्टर हुआ।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/2019/4733 दिनांक 23.10.2019 के द्वारा अपीलार्थी को यह सूचित किया गया कि सूचना काफी विस्तृत है। किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित आकर सम्बन्धित रिकॉर्ड का अवलोकन कर नियमानुसार प्रति पे 2/— रूपये प्रतिलिपि शुल्क अदा कर सूचना प्राप्त कर सकते है। परन्तु अपीलार्थी आज दिनांक तक रिकॉर्ड अवलोकन हेतु इस कार्यालय में उपिस्थित नहीं आय, अपीलार्थी के इस कार्यालय में न आने व रिकॉर्ड का अवलोकन न करने के कारण उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी जिसमें इस कार्यालय स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी(पुनर्वास)
पदाधिकारी, श्रीगंगानगर

अपीलार्थी ने वांछित सूचनाओं का कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और अप्रार्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (पुनर्वास), पदाधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त पत्रांक 4755 दिनांक 28.12.2019 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं काफी विस्तृत है इस कारण वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 28.12.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में सम्बन्धित रिकॉर्ड का

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अवलोकन कर वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही नहीं की है चूंकि उनके द्वारा दिया गये उत्तर में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती फिर भी न्यायहित में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण अभिलेख का निरीक्षण करवाकर दे तथा प्रार्थी जो सूचनाएं प्राप्त करना चाहे, उसे नियमानुसार प्रदान की जावे।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (पुनर्वास), पदाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर

श्रीगंगानगर